***जनपद – संतकबीरनगर***

***प्रेस नोट***

***दिनाँक 16.09.2025***

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 12000रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.09.2025 को ***माननीय न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 12000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 566/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बजरंगी विश्वकर्मा पुत्र रामस्वरुप विश्वकर्मा निवासी गागरगाड़ धुरहा टोला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा-60 आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का सादा कारावास से भुगतना होगा तथा अभियुक्ता 2. उर्मिला देवी पत्नी स्व0 तुलसी निषाद निवासी गागरगाड़ धुरहा टोला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा-60 आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 8000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 207/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी धूरापाली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवा0 अधिनियम के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 2500रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधि0 में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 2500रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 213/2002 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जहीरुद्दीन पुत्र बहादुर 2. शब्बीर पुत्र सरदारी निवासीगण दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व 1250-1250रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवा0 अधिनियम के अपराध में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1050रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधि0 में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1050रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 70/2002 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बिल्ला उर्फ बिरला पुत्र खालीक निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व 1050रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

***दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता बंशु पुत्र स्व0 अधारे निवासी मोहल्ला अव्वल केवटहिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः**-* उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, म0का0 मंजू निषाद।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार***

*थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***पीआरवी आफ द डे***

***पीआरवी 6006 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल***- पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बड़गो चौराहा से कालर द्वारा बाइक फिसलकर गिर जाने से घायल 01 व्यक्ति (1.संजय कुमार राय पुत्र बृजभान राय ग्राम ब्यारे थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

*पीआरवी स्टाफ*- मु0आ0 शैलेष यादव, म0हे0का0 सुनैना तिवारी, हो0चा0 गौरीश पाण्डेय।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 250 वाहनों से 2,79,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनाँक 16.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 250 वाहनों से 2,79,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा अवैध ड्रोन विक्रेता /संचालक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, 29 ड्रोन बरामद, अभियोग पंजीकृत***
***नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर लगातार होती रहेगी कार्यवाही: एस पी***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वाले संचालक के खिलाफ विशेष कार्यवाही करते हुए 29 ड्रोन जब्त किया गया तथा आरोपी संचालक के विरुद्ध उचित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । यह कार्यवाही नागरिक सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

***कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण***
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रण व चेकिंग संदिगध व्यक्ति वाहन के समय प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध ड्रोन संचालन की किसन कसौधन पुत्र श्री घनश्याम कसौधन निवासी तितौवा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की जांच की । जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कुल 29 ड्रोन बरामद किए गए । ड्रोन बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 843/25 धारा 292, 293, 353(2) बीएनएस 66E आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

*ड्रोन संचालन से सम्बंधित मुख्य नियम (Drone Regulations 2025):*
ड्रोन नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार......
*1. पंजीकरण अनिवार्यता*
सभी ड्रोन ऑपरेटरों को Digital Sky Portal (h ttps://digitalsky.dgca.gov.in) पर ड्रोन रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

*2. लाइसेंस अनिवार्यता*
व्यवसायिक उपयोग हेतु ड्रोन संचालन के लिए DGCA द्वारा जारी लाइसेंस आवश्यक है।

*3. उड़ान सीमा*
ड्रोन की अधिकतम ऊँचाई सीमा 400 फीट (लगभग 120 मीटर) निर्धारित है।

*4. प्रतिबंधित क्षेत्र*

हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालयों, थाना ,सुरक्षा प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिर ,मस्जिद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के निकट ड्रोन उड़ान पूर्णतया प्रतिबंधित है।

*5. ड्रोन ट्रैकिंग*

प्रत्येक ड्रोन में Unique Identification Number (UIN) तथा ट्रैकिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है।

***उल्लंघन पर दंड:***

1. अनुमति के बिना संचालन: बिना पंजीकरण, लाइसेंस या अनुमति के ड्रोन चलाने पर उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर ₹50,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. नो-फ्लाई ज़ोन में ड्रोन उड़ाने पर आपराधिक अभियोग भी पंजीकृत किया जा सकते हैं।
3. नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त भी किया जा सकता है।

***संतकबीरनगर पुलिस का संदेश***

"हम जन सुरक्षा एवं संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अवैध ड्रोन संचालन पर विशेष नजर रखी जा रही है । सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ड्रोन संचालन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और Digital Sky Portal पर पंजीकरण कराएं । साथ ही साथ थाना स्तर पर बने ड्रोन रजिस्टर में अपना सम्पूर्ण विवरण जरूर दर्ज करे।अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

## *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 758/2025 धारा 65(1), 87, 137(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामसहाय निवासी जगुई थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को आज दिनाँक 16.09.2025 को औद्योगिक क्षेत्र स्थिस श्मसान घाट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 20.08.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 16.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव, हे0का0 नुरुद्दीन खान, का0 घनश्याम त्रिपाठी।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कर देने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 5000रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कर देने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 5000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 379/2003 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र बिक्री निवासी जंगलकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 279, 337, 328 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व 5000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त राशि में से 4500रु0 पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगी। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

***“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 2500रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 2500रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरणः-**

मु0अ0सं0 921/2005 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मुक्खू उर्फ सुक्खू निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 325, 504, 506 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 2500रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

***“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 15000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.09.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के न्यायाधीश *श्री कृष्ण कुमार पंचम* द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 15000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

***घटना विवरणः-***

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना धनघटा पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री भैरव नाथ यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

***सजा विवरणः-***

मु0अ0सं0 1834/2017 धारा 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सरवन पुत्र सुदामा निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सरवन उपरोक्त को धारा 363, 366, 376(3) भादवि में आजीवन कारावास व कुल 15000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया।

□***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में तीन सवारी चलने वाले वाहनों के विरुद्ध चलाया गया "आपरेशन तिगड़ी" व बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध चलाया गया "आपरेशन पटाखा" अभियान***

□***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान के तहत जनपद से कुल 250 वाहनों से 2,79,000 रू0 जुर्माना वसूला गया***

□***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन ब्लैक कैट" अभियान के तहत जनपद में वाहनों से उतवायी गयी काली फिल्म***

□***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान** से **जनपद मे मचा हडकम्प***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 16.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए तीन सवारी चलने वाले वाहनों के विरुद्ध "आपरेशन तिगड़ी" **व बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध " आपरेशन पटाखा "** अभियान चलाया गया।

"आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 05 वाहनों से 3500 रुपए, थाना धनघटा से 08 वाहनों से 19,000रुपए, थाना महुली से 15 वाहनों से 15,000रुपए, थाना बखिरा से 12 वाहनों से 10,000रुपए, व संतकबीरनगर यातायात पुलिस द्वारा 210 वाहनों से 2,31,500 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया की वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी तथा वाहनों में काली फिल्म प्रयोग करने वालों के विरुद्ध **"आपरेशन ब्लैक कैट"** अभियान चलाया गया।

☐ ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा तीन सवारी व हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान***

☐ *** अभियान के तहत जनपद से कुल 250 वाहनों से 2,79,000 रु0 जुर्माना वसूला गया***

☐ ***विशेष अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी यातायात की उपस्थिति में सड़क किनारे से हटवाया गया अतिक्रमण, लोगों को किया गया जागरुक***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा* उपस्थिति व** संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 16.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए हेलमेट न पहनने वालों व तीन सवारी बैठाकर मोटरसाइकिल चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया साथ ही मेंहदावल बाइपास पर रोडवेज बसों द्वारा अनियंत्रित रुप से किये जा रहे अवागमन जाम की स्थिति के दृष्टिगत रोडवेज बसों के आने जाने हेतु बैरियर लगाकर लेन निर्धारित किया गया, जिससे मेंहदावल बाइपास पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी।

"हेलमेट" व “तीन सवारी” अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना थाना कोतवाली खलीलाबाद से 05 वाहनों से 3500 रुपए, थाना धनघटा से 08 वाहनों से 19,000रुपए, थाना महुली से 15 वाहनों से 15,000रुपए, थाना बखिरा से 12 वाहनों से 10,000रुपए, व संतकबीरनगर यातायात पुलिस द्वारा 210 वाहनों से 2,31,500 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।

**आज दिनाँक 16.09.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 29 ड्रोन बरामद करते हुए अवैध ड्रोन विक्रेता /संचालक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट**

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा अवैध ड्रोन विक्रेता /संचालक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, 29 ड्रोन बरामद, अभियोग पंजीकृत***
***नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर लगातार होती रहेगी कार्यवाही: एस पी***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वाले संचालक के खिलाफ विशेष कार्यवाही करते हुए 29 ड्रोन जब्त किया गया तथा आरोपी संचालक के विरुद्ध उचित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। यह कार्यवाही नागरिक सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

***कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण***
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रण व चेकिंग संदिगध व्यक्ति वाहन के समय प्राप्त सूचना के आधार पर  अवैध ड्रोन संचालन की किसन कसौधन पुत्र श्री घनश्याम कसौधन निवासी तितौवा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की जांच की। जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कुल 29 ड्रोन बरामद किए गए। ड्रोन बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 843/25 धारा 292, 293, 353(2) बीएनएस 66E आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

*ड्रोन संचालन से सम्बंधित मुख्य नियम (Drone Regulations 2025):*
ड्रोन नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार......
*1. पंजीकरण अनिवार्यता*
सभी ड्रोन ऑपरेटरों को Digital Sky Portal (h ttps://digitalsky.dgca.gov.in) पर ड्रोन रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

*2. लाइसेंस अनिवार्यता*
व्यवसायिक उपयोग हेतु ड्रोन संचालन के लिए DGCA द्वारा जारी लाइसेंस आवश्यक है।

*3. उड़ान सीमा*
ड्रोन की अधिकतम ऊँचाई सीमा 400 फीट (लगभग 120 मीटर) निर्धारित है।

*4. प्रतिबंधित क्षेत्र*

हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालयों, थाना ,सुरक्षा प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिर ,मस्जिद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के निकट ड्रोन उड़ान पूर्णतया प्रतिबंधित है।

*5. ड्रोन ट्रैकिंग*

प्रत्येक ड्रोन में Unique Identification Number (UIN) तथा ट्रैकिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है।

***उल्लंघन पर दंड:***

1. अनुमति के बिना संचालन: बिना पंजीकरण, लाइसेंस या अनुमति के ड्रोन चलाने पर उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर ₹50,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. नो-फ्लाई ज़ोन में ड्रोन उड़ाने पर आपराधिक अभियोग भी पंजीकृत किया जा सकते हैं।
3. नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त भी किया जा सकता है।

***संतकबीरनगर पुलिस का संदेश***

“हम जन सुरक्षा एवं संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अवैध ड्रोन संचालन पर विशेष नजर रखी जा रही है । सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ड्रोन संचालन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें और Digital Sky Portal पर पंजीकरण कराएं । साथ ही साथ थाना स्तर पर बने ड्रोन रजिस्टर में अपना सम्पूर्ण विवरण जरूर दर्ज करे।अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”